

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी हंसमुख कुमार आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :- 08/2025

अपीलान्त :-

1. पुखराज गोदपुत्र स्व. श्री रामसुख जाति विश्‍नोई, उम्र 45 वर्ष निवासी-मंगलनगर ग्राम गुड़ाविश्‍नोईयान तहसील लूणी, जिला जोधपुर

ब न अ म

रेस्पोडेन्ट्स :-

1. मूमली पत्नी स्व. श्री रामसुख जी,
2. जसकी पत्नी श्री हड़मानराम पुत्री स्व. श्री रामसुख जी, निवासीगण ग्राम गुड़ाविश्‍नोईन तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
3. ग्राम पंचायत बालाजी नगर जरिये सरपंच, तहसील एवं जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध  
नामान्तकरण संख्या 219 दिनांक 31.03.2025 सरपंच, ग्राम पंचायत बालाजी नगर,  
तहसील लूणी द्वारा स्वीकृत किया गया।

उपस्थिति :-

1. अपीलान्त की ओर से अधिवक्ता अमित माहेश्वरी, श्याम मनोहर, महेन्द्र गहलोत।
2. रेस्पोडेन्ट्स की ओर से अधिवक्ता लादूराम पुनिया।

दिनांक :- 05.05.2026

- :: निर्णय :: -

1. अपीलान्त द्वारा एक नामान्तकरण अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की नामान्तकरण संख्या 219 जो कि ग्राम पंचायत बालाजी नगर द्वारा दिनांक 31.03.2025 को स्वीकृत किया गया, के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई।
2. अपीलान्त द्वारा पेश अपील मीमों में अंकित अभिवचनों के अनुसार प्रकरण के सारवान एवं संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि स्व० श्री रामसुख जी की ग्राम मंगल नगर, पटवार हल्का गुड़ा विश्‍नोईयान् के खसरा नम्बर 417/2 रकबा 0.1133 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 459/1 रकबा 2.8328 हेक्टेयर एवं खसरा नम्बर 865/461 रकबा 0.0809 हेक्टेयर जमीन आई हुई थी। वर्ष 2016 में रामसुख जी एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 मूमली ने विधिवत् रूप से गोदनामा निष्पादित करते हुए अपीलार्थी को गोद ले लिया, जो गोदनामा कार्यालय उप पंजीयक द्वितीय, जोधपुर के यहाँ दिनांक 28.04.2016 को पंजीबद्ध किया गया तथा आज दिनांक तक किसी भी सिविल न्यायालय द्वारा रद्द नहीं किया हुआ है। रामसुख का स्वर्गवास दिनांक 13.03.2017 को हो गया तथा उनके स्वर्गवास पश्चात् उनके प्रथम श्रेणी उत्तराधिकारियों में अप्रार्थी संख्या 1 एवं 2 के साथ अपीलान्त भी हुए परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 एवं 2 ने फौतेदगी नामान्तकरण भरवाते समय सिर्फ अपना नाम दर्ज करवाया जबकि नामान्तकरण भरते समय मुझ अपीलार्थी का नाम भी बहैसियत खातेदार दर्ज करना आवश्यक था। इस कारण नामान्तकरण आदेश कानून के विपरीत होने के कारण निरस्त किया जाना कानूनन न्यायोचित है क्योंकि अपीलार्थी अपने पिता स्व० श्री रामसुख जी के अन्य प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारियों के साथ एक प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी है। अपीलार्थी ने दिनांक 23.03.2017 अर्थात् रामसुख जी के देहावसान के 10 दिवस बाद एवं तत्पश्चात् वर्ष 2019 में प्रत्यर्थी संख्या 3 को स्व० श्री रामसुख जी के अन्य खसरान् की जमीन बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 एवं 2 के साथ उक्त खसरान की भूमि में अपीलार्थी का भी नाम संयुक्त खातेदार के रूप में दर्ज करने का प्रार्थना पत्र दिया था। प्रत्यर्थी संख्या 1 एवं 2 जानबूझकर अपीलार्थी के प्रथम श्रेणी उत्तराधिकारी होने के नाते अपीलार्थी का

श्री रामसुख जी की खातेदारी की जमीन में हिस्सा होते हुए भी बहैसियत को शेयरर के रूप में नाम दर्ज नहीं करवाया गया। जिसके कारण अपीलांट द्वारा अपील पेश कर नामान्तरकरण संख्या 219 दिनांक 31.03.2025 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया है। अपीलांट द्वारा अपील के संलग्न प्रार्थना पत्र स्थगन एवं बाबत अपील प्रस्तुत करने की अनुमति का भी पेश किया गया।

3. अपीलांट द्वारा अपील पेश होने पर कार्यालय समय में दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोजेन्ट्स को नोटिस जारी किया गया। रेस्पोजेन्ट्स के नोटिस बाद तामिल शामिल पत्रावली किये गये। रेस्पोजेन्ट्स संख्या एक व दो की तरफ से अधिवक्ता लादूराम पुनिया द्वारा वकालतनामा, प्रारंभिक आपत्तिया और जवाब पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। रेस्पोजेन्ट्स अधिवक्ता द्वारा अपने जवाब में कथन किया कि अपीलार्थी ने मृतक खातेदार रामसुख के विरासत के नामान्तरकरण की अपील अपने आपको गोद पुत्र बताकर प्रस्तुत की है जो प्रस्तुत किये जाने के योग्य नहीं है। अपीलार्थी का गोदनामा धोखे से निष्पादित करवाया गया जिसको निरस्त व रद्द करने के लिये मृतक खातेदार रामसुख ने मान्यवर जिला न्यायाधीश जोधपुर महानगर के समक्ष दावा संख्या 150/2016 प्रस्तुत किया जो लम्बित चल रहा है। जिस कारण अपीलार्थी को मृतक खातेदार के विरासत के नामान्तरकरण के विरुद्ध अपील करने का कोई अधिकार नहीं है। अपीलार्थी ने जो नामान्तरकरण आदेश दिनांक 10.03.2025 के विरुद्ध जो अपील प्रस्तुत की है जिसको प्रस्तुत करने का उसको अधिकार नहीं है। इसलिये अपील खारिज योग्य है। अपीलार्थी के द्वारा अपने हक प्रभावित होने का कारण बताया है वह पूर्णतया गलत व झुठा है जब अपीलार्थी का गोदनामा धोखे से निष्पादित होने से निरस्त व अपास्त करने का दावा सक्षम दीवानी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है जो लम्बित चल रहा है इसलिये तथाकथित गोदनामे से अपीलार्थी को मृतक की सम्पत्ति खातेदारी की भूमि में कोई हक व अधिकार उत्पन्न नहीं हुए इसलिये अपीलाधीन नामान्तरकरण से अपीलार्थी के हक अधिकार प्रभावित होने का तथ्य स्वतः ही निराधार व झुठा प्रमाणित है इसलिए मृतक खातेदार के विरासत का नामान्तरकरण के विरुद्ध अपीलार्थी को अपील प्रस्तुत करने का कोई हक अधिकार नहीं है इसलिये अपील करने का अनुमति प्राप्त करने का प्रार्थना पत्र निरस्त योग्य है। अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलार्थी का नामान्तरकरण आदेश दिनांक 10.03.2025 के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति देने के प्रार्थना पत्र को हर्जे खर्चे सहित निरस्त किये जाने का आदेश फरमावे। तहसीलदार लूणी से मूल नामान्तरकरण प्राप्त किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

4. हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। बहस उभयपक्षकारान् के विद्वान अधिवक्तागण की सुनी गई। अपीलान्त द्वारा बहस में अपील मीमो में वर्णित अभिवचनों को दोहराते हुए नामान्तरकरण अपील स्वीकार करने का निवेदन किया है। अपीलांट अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क किया कि अपीलाधीन नामान्तरकरण आदेश पारित करने में विधिक एवं तथ्यात्मक भूल की है, जिससे अपीलाधीन आदेश अपास्त किए जाने योग्य है। अपीलीय अधिकारी द्वारा विवादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों को दरकिनार करते हुए एवं नजरअन्दाज करते हुए अपीलाधीन नामान्तरकरण आदेश पारित किया है क्योंकि अपीलार्थी का अप्रार्थी संख्या 1 एवं 2 के साथ श्री रामसुख जी की सम्पत्ति में गोदपुत्र होने के नाते प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी होने के नाते बराबर का हिस्सा है, परन्तु अप्रार्थी संख्या 3 ने अपीलार्थी को बिना सुने हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों को बिना समझे नामान्तरकरण आदेश पारित किया है। इस कारण अपीलाधीन नामान्तरकरण आदेश अपास्त कर पुनः अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिया जाकर कर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपीलार्थी का भी नाम उक्त खसरा की भूमि में बहैसियत खातेदार के रूप में दर्ज किए जाने का आदेश पारित किया जाए। इसके विपरित रेस्पोजेन्ट्स अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में कहा गया कि अपीलार्थी का गोदनामा धोखे से निष्पादित होने से मृतक खातेदार रामसुख ने उसको निरस्त व अपास्त करने का दावा सक्षम दीवानी न्यायालय जिला न्यायाधीश महानगर के समक्ष दावा संख्या 150/2016 प्रस्तुत किया जो कि विचाराधीन है। रेस्पोजेन्ट्स

अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क किया कि इस प्रकार तथाकथित गोदनामा जिसकी वैधता चुनौती अधीन होने से मृतक खातेदार की खातेदारी भूमि में अपीलार्थी का कोई हक व अधिकार नहीं है। मृतक खातेदार के विरासत का नामान्तरकरण के विरुद्ध अपीलार्थी को अपील प्रस्तुत करने का कोई हक अधिकार नहीं है इसलिये अपील करने का अनुमति प्राप्त करने का प्रार्थना पत्र निरस्त योग्य है।

5. दोनो पक्षों के विद्वान अभिभाषकगणों द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत कथनों व तर्कों पर गहनता से विचार व मनन किया गया। अपीलांट अधिवक्ता द्वारा फॉर्म-3 के संलग्न दस्तावेजों में गोदनामा की प्रति पेश की। उक्त गोदनामा स्व. रामसुख एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 मूमली द्वारा दिनांक 28.04.2016 को कार्यालय उप पंजीयक द्वितीय, जोधपुर में पंजीबद्ध किया गया जो कि स्व. रामसुख एवं रेस्पोंडेन्ट्स संख्या एक द्वारा निष्पादित किया गया जिसके साख/गवाह कुल आठ व्यक्तियों में से रेस्पोंडेन्ट्स संख्या 2 जसकी स्वयं द्वारा भी दी गई है साथ ही अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत फौतेदगी म्यूटेशन दर्ज करवाने का भी तहसीलदार लूणी को बार-बार पेश किया गया है तथा इस हेतु रेस्पोंडेन्ट्स संख्या 1 व 2 को भी समय-समय पर अवगत करवाया गया है।
6. विद्वान अभिभाषकगणों के कथनों व तर्कों पर विचार व मनन करने के उपरांत यह स्वीकृत रूप से स्पष्ट है कि नामान्तरकरण संख्या 219 जो कि ग्राम पंचायत बालाजी नगर द्वारा ग्राम मंगल नगर के खसरा नम्बर 417/2, 459/1 व 865/461 के राजस्व रैकर्ड में रेस्पोंडेन्ट्स संख्या एक व दो द्वारा स्व. रामसुख के स्वर्गवास उपरान्त फौतेदगी म्यूटेशन के जरिये अपना नाम दर्ज करवाया है जबकि एक पंजीबद्ध गोदनामा दस्तावेज के प्रभावी होते हुए अपीलांट (गोदपुत्र) होने के नाते जैविक संतान के समान ही स्व. रामसुख के प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी होने से रेस्पोंडेन्ट्स संख्या एक व दो के साथ समस्त अधिकार प्राप्त है। अतः उक्त खसरान् के राजस्व रैकर्ड में अपीलांट का रेस्पोंडेन्ट्स के समान ही सहखातेदार दर्ज होना आवश्यक है। अपीलाधीन नामान्तरकरण आदेश पारित करने के दौरान विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि होना प्रतीत होता है, जिससे सीधे रूप से अपीलांट प्रभावित है। जहां तक रेस्पोंडेन्ट्स का यह कथन है कि अपीलार्थी द्वारा उक्त गोदनामा को धोखे से निष्पादित करवाया गया तथा निरस्त करवाने का दावा विचाराधीन है। यहा पर यह कानूनन स्पष्ट है कि एक पंजीबद्ध दस्तोवज को जब तक सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं करवाया जाता है तब तक व प्रभावी है। एक बार गोद लिये जाने के बाद गोद जाने वाले के समस्त अधिकार निहित हो जाते है जब तक सक्षम न्यायालय द्वारा गोदनामा निरस्त नहीं किया गया हो। वर्तमान में गोदनामा प्रभावी है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट द्वारा पेश अपील न्यायहित में स्वीकार किए जाने योग्य है।
7. परिणामतः उपरोक्त समग्र विवेचन एवं विशलेषण के आधार पर अपीलान्ट द्वारा पेश नामान्तरकरण अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम को स्वीकार किया जाकर ग्राम मंगलनगर ग्राम पंचायत बालाजी नगर का नामान्तरकरण संख्या 219 दिनांक 31.03.2025 को अपास्त किया जाता है। तहसीलदार लूणी को आदेश दिये जाते है कि स्व. रामसुख के प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारियों की नियमानुसार जांच कर पुनः नये सिरे से नामान्तरकरण की प्रक्रिया पूर्ण कर पालना प्रस्तुत करे। पत्रावली फैंसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

8. निर्णय आज दिनांक 05.05.26 को सरे इजलास में सुनाया गया।

(हंसमुख कुमार आर.एस.टी.)  
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी  
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी